न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—138/2017/223 (2017/00138)

1. बाबू पुत्र कालू, जाति रावत, निवासी खेडा देवनारायण, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
2. सूरजी देवी पत्नि स्व0 बाबू, जाति रावत,
3. शैतान पुत्र बाबू, जाति रावत,
4. नेपाल पुत्र बाबू, जाति रावत,
5. शीला पुत्री बाबू, जाति रावत,
6. सुनिता पुत्री बाबू, जाति रावत,
7. मंजू पुत्री बाबू, जाति रावत,
8. संतोष पुत्री बाबू, जाति रावत,
   अपीलांट संख्या 2 लगायत 8 मृतक बाबू के बजाय मृतक बाबू के वारिसान ।
9. प्रताप पुत्र कालू, जाति रावत, निवासी खेडा देवनारायण, तहसील ब्यावर जिला अजमेर ।
10. नैना पुत्र कालू, जाति रावत, निवासी खेडा देवनारायण, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

बिरदा पुत्र लूम्बा, जाति रावत, निवासी खेडा देवनारायण, तह0 ब्यावर जिला अजमेर :— (मृतक) जरिये वारिसानः—

1. श्रीमती दाखू पतिन स्व0 बिरदा,
2. कैलाश पुत्र स्व0 बिरदा,
3. किशन पुत्र स्व0 बिरदा,
4. श्रीमती लाली पुत्री स्व0 बिरदा पत्नि स्व0 किशोर,
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं लैण्ड हौल्डर, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर दिनांक 23.5.2017 अंतर्गत वाद संख्या 99/2014.

उपस्थितः—

1. श्री संदीप शर्मा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री जीमल जई, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः— 24.7.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटस/वादीगण ने प्रतिवादीगण/अपीलांटस के विरूद्ध अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 188, 183 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि भूमि खसरा नंबर 110/2, 111, 112, 254, 255, 256, 257, 258, 610, 613,/2, 614, 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273 वाके मौजा खेडा देवनारायण का, तहसील ब्यावर अवस्थित है, इन भूमियों को विवादित बताते हुए बाहमी बंटवारे का कथन किया जो कि वाद दिनांक 25.6.2012 को डिक्री वादी के पक्ष में होकर इजराय के तहत 1/4 हिस्से के लिये वादी के हिस्से में आई भूमियों की पालना पूर्ण होकर इजराय दाखिल दफ्तर हुई है तथा मुकदमा संख्या 66/2006 के तहत वादी के 1/4 हिस्से मे खसरा नंबर 254, 255, 266 व 610 आये है और इन्हीं खसरा नंबरान पर वादी बाहमी बंटवारे के तहत पिछले 50 सालों से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । मुकदमा संख्या 66/2006 के तहत प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश से निषिद्ध किया गया है कि वादी के खसरा नंबर 254, 255, 266 व 610 बाबत् प्रार्थी/वादी द्वारा किये जा रहे उपयोग, उपभोग में अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण दखलदांजी नहीं करेंगे, न ही भूमियों पर आयेगें, न ही वृक्षों को किसी प्रकार क्षति पहुंचायेंगे, इस आशय का निषेधाज्ञा का आदेश भी अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित हुआ है । इसके बावजूद प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 ने लाठियों के बल पर वादीगण द्वारा विवादित भूमि पर जरिये ट्रेक्टर पुनः हल चलाकर वादी का बीज नष्ट कर दिया तथा बिना प्रतिफल प्रतिवादीगण के पक्ष में रजिस्ट्री करवाने का दबाव बना रहे है । अतः वादीगण का वाद न्यायहित में स्वीकार कर अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का अतिक्रमण खसरा नंबर 254, 610 पर से जरिये पुलिस इमदाद तत्काल प्रभाव से हटवाया जाकर प्रार्थी/वादी को अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा इस फसल की क्षति एवं खडाई व बीज डलाई की क्षति की क्षतिपूर्ति प्रतिवर्ष 70,000/—रू0 दिलवाई जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.5.2017 द्वारा वादीगण/रेस्पो0 का वाद स्वीकार करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने वाद के अभिवचनों, प्रस्तुत दस्तावेजों का भली—भांति अवलोकन न कर वाद को स्वीकार करने में त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित करने हेतु विधि अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार न तो तनकी कायम की और न ही वाद में पक्षकारों की शहादत ली, बिना पक्षकारों की शहादत के कैम्प कोर्ट में उक्त वाद को स्वीकार कर अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रियाएवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लघंन किया है । बहस में

आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/अपीलांट खसरा नंबर 254, 610 का अकेला खातेदार काश्तकार है पर किसी प्रकार का कोई गौर न कर विधिक भूल की है । जबकि खसरा नंबर 254, 610 का कब्जा काश्त 50 वर्षो से प्रतिवादी/अपीलांटस का है । उक्त आधार पर भी अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दस्तावेजी साक्ष्यों के पूर्णतया विपरीत है। अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/अपीलांटस द्वारा खसरा नंबर 254, 610 की जमाबंदी प्रस्तुत की थी जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट ने वादपत्र में भी स्पष्ट अभिवचन किये है कि उक्त खसरा नंबर की उक्त खसरा नंबर की भूमि अन्य सहखातेदारान के मध्य मौखिक पारिवारिक समझौते के तहत प्राप्त हुई है तथा उक्त वाद में प्रतिवादी/रेस्पो0 के द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रत्युत्तर के अभिवचनों पर भी गौर नहीं कर भारी विधिक भूल की है क्योंकि प्रतिवादी/रेस्पो0 का उसके अभिवचनों से कब्जा काश्त होना प्रमाणित नहीं है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.5.2017 निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात खसरा नंबर 254, 255, 266 व 610 रेस्पो0/वादीगण को मुकदमा संख्या 66/2006 के तहत 1/4 हिस्से बाबत् प्राप्त हुई थी तथा वाद की इजराय डिक्री दिनांक 25.6.2012 को डिक्री कर वादी/रेस्पो0 को 1/4 हिस्से की भूमियों का कब्जा संभलाया गया था । वादी/रेस्पो0 50 सालों से बाहमी बंटवारे के अनुसार विवादित आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु अपीलांटस ने खसरा नंबर 254 व 610 जिस पर रेस्पो0 ने खेतों की खड़ाई कर ज्वार–बाजरे का बीज डलवाया था जिसे अपीलांटस ने संख्या बल के आधार पर जरिये ट्रेक्टर पुनः हल चलाकर बीज को नष्ट कर दिया तथा वादी/रेस्पो0 को धमकी दी कि विवादित भूमि की रजिस्ट्री बिना प्रतिफल के अपीलांटस के पक्ष में कर दे अन्यथा अपीलांटस वादीगण/रेस्पो0 को समाज से बहिष्कृत करवा देंगे । अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री तथा इजराय आदेश से रेस्पो0 विवादित भूमि पर काबिज काश्त है जिन्होंने जबरन कब्जा कर नुकसान पहुंचाया है। उक्त तथ्य अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 द्वारा साबित किये जाने से अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को विवादित भूमियों से बेदखल करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण/रेस्पो0 द्वारा पूर्व में वाद संख्या 66/2006 उनवान बिरदासिंह बनाम श्रीमती धापू बेवा कालू व अन्य पेश किया था । उक्त वाद को अधी0न्याया0 ने पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 25.6.2012 द्वारा वादी/रेस्पो0 के पक्ष में डिक्री किया जाकर रेस्पो0 को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर जरिये इजराय रेस्पो0 के हिस्से में आई भूमियों का कब्जा संभलाया गया था । अधी0न्याया0 के पूर्व निर्णय व डिक्री दिनांक 25.6.2012 को निरस्त करवाने का साक्ष्य अपीलांट/प्रतिवादी ने अधी0न्याया0 एवं हाजा न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित पूर्व निर्णय के प्रभावी रहते अपीलांटस द्वारा वादी/रेस्पो0 के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किये जाने, अतिक्रमण किये जाने पर अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को कब्जा दिलवाने के आदेश पारित किये है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाती है ।

7. अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 25.5.2017 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 24.7.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर